Serial Number: 131/2016

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 29th Nov., 2016.

ALL CONCERNED

Sub: Permission for joining in the recruited post of sportspersons without insisting of initial training.

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2016/E(Sports)/4(1)/7/Training dated 20/09/2016 (RBE No. 111/2016 – clarification/ Corrigendum No. 76) on the subject mentioned matter.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.

29.11.16

(S. Chakraborty)
Sr. Personnel Officer/ BGB
for Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2016/E(Sports)/4(1)/7/Training dated 20/09/2016 (RBE No. 111/2016 – clarification/ Corrigendum No. 76) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

विषय: **Permission for joining in the recruited post of sportspersons without insisting of initial training.**

Sportspersons recruited through Open Advertisement and Talent Scouting are normally absorbed in categories like TE, CC, Office Clerk and Technician-III, depending upon their educational qualification. Since the training slots are limited in ZRTIs there are occasions where the newly recruited players have to wait for long periods till training slots for them become available. There have been instances where players have been recruited just before an important sporting event but they could not be allowed to join without the mandatory initial training, which weakened the key objective behind their recruitment.

It has been decided that sportspersons may be allowed to join immediately without insisting on initial training and they may be sent for training as per availability of training slot in a flexible manner keeping in view the schedule of sporting events.

This issues with the approval of Board (MS).

(Bhaskar Roy Chaudhary)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

क्रमांक : 131/2016

पूर्व रेलवे

सं. सीपीओ/एससी/एसएएस/पोल./पार्ट-II कोलकाता, दिनांक 29 नवम्बर,2016

सर्वसंबंधित

विषय : आरंभिक प्रशिक्षण पर जोर दिए बिना खिलाड़ियों के भर्ती किए गए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति ।

उपर्युक्त विषय पर रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2016/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/7/ट्रेनिंग दिनांक 20.09.2016 (आरबीई सं. 111/2016- स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं.76) की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न है।

उपर्युक्त पत्र कृपया सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कारवाई हेतु इसके साथ अग्रसारित किया जाता है ।

एस. चक्रवर्ती

(एस. चक्रवर्ती)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/बीजीबी

कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी

महाप्रबंधक(का.), सभी क्षेत्रीय रेल एवं अन्य को सम्बोधित रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2016/ई(स्पोर्ट्स)/4(1)/7/ट्रेनिंग दिनांक 20.09.2016 (आरबीई सं. 111/2016- स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं.76) की प्रतिलिपि ।

विषय: आरंभिक प्रशिक्षण पर जोर दिए बिना खिलाडियों के भर्ती किए गए पद पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति।

खुले विज्ञापन और प्रतिभा की खोज के माध्यम से भर्ती किए गए खिलाडियों को सामान्यत: उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर टीकट परीक्षक, वाणिज्य लिपिक, कार्यालय लिपिक और तकनीशियन-III जैसी कोटियों में समाहित किया जाता है। चूँकि क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण स्लॉट सीमित है, अत: ऐसा कई बार होता है कि भर्ती किए गए नए खिलाडियों को प्रशिक्षण स्लॉट प्राप्त होने में लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिसमें खिलाडियों की भर्ती किसी महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिता से ठीक पहले की गई है परन्तु उन्हें अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण के बिना कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकी जिसके कारण उनकी भर्ती के मुख्य उद्देश्य का महत्व कम हो गया।

यह निर्णय लिया गया है कि खिलाडियों को आरंभिक प्रशिक्षण पर जोर दिए बिना तुरंत कार्यभार करने की अनुमति दी जाए और उन्हें खेल प्रतियोगिताओं के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण स्लॉट की उपलब्धता के अनुसार प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए और ऐसा करते समय लचीला रूख अपनाया जाए।

इसे बोर्ड (सदस्य कार्मिक) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(भास्कर रॉय चौधरी)

उपनिदेशक/स्था.(खेलकूद)